# बिहार सरकार
## निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

ई–मेल

दूरभाष सं०:– 0612–2217956
फैक्सः– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेलः– ceo_bihar@eci.gov.in


पत्रांक : 3269 पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 ई०।

प्रेषक

एच० आर० श्रीनिवास,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

**विषय :– बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 – जिला स्तर पर सेक्टर पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान Dummy मतदान केन्द्र पर कोविड–19 के सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में Hands-on प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के क्रम में कोविड–19 के संदर्भ में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेश के अन्तर्गत सामाजिक दूरी (Social Distancing) एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय (Other Safety Measures) को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि मतदान केन्द्रों पर सभी Protocol बनाये रखते हुए मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न की जाये। निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कोविड–19 के संदर्भ में संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिला स्तर पर सेक्टर पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान प्रशिक्षण के दौरान सभी कर्मियों को सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में Hands-on प्रशिक्षण के लिए Dummy मतदान केन्द्र निर्मित कर प्रशिक्षण सुनिश्चित की जाये ताकि वास्तविक मतदान के समय कोविड–19 के सुरक्षात्मक उपायों का शत–प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

18/9

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक – 3269 पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक – 3269 पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :– सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।